ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय

कामेश्वरनगर, दरभंगा

दिनांक 21.01.2026 को आयोजित अभिषद् की बैठक का कार्यवृत्त

समय: 12:30 बजे अपराह्न
स्थान: कुलपति के आवासीय कार्यालय का सभाकक्ष
माध्यम: ऑनलाइन एवं ऑफलाइन (Hybrid Mode)
उपस्थिति:-

1 प्रो. संजय कुमार चौधरी, कुलपति	-	अध्यक्ष
2 प्रो. दिलीप कुमार चौधरी	-	सदस्य
3 डॉ. बैद्यनाथ चौधरी	-	सदस्य
4 प्रो. अशोक कुमार मेहता	-	सदस्य
5 श्रीमती मीना कुमारी	-	सदस्य
6 श्री सुजीत पासवान	-	सदस्य
7 डॉ. हरि नारायण सिंह	-	सदस्य
8 डॉ. फैयाज अहमद	-	सदस्य
9 डॉ. अमर कुमार	-	सदस्य
10 प्रो. विजय कुमार यादव	-	सदस्य
11 मो. इम्बेसात सौकत	-	सदस्य
12 डॉ. अनिल कुमार चौधरी (ऑनलाइन)	-	सदस्य
13 डॉ. गोपाल जी ठाकुर (ऑनलाइन)	-	सदस्य
14 डॉ. इफ्तेकार अहमद (ऑनलाइन)	-	सदस्य
15 डॉ. दिव्या रानी हंसदा, कुलसचिव	-	सचिव

सचिव-सह-कुलसचिव द्वारा माननीय अध्यक्ष-सह-कुलपति महोदय को गणापूर्ति की सूचना प्रदान करते हुए बैठक की कार्यवाही प्रारंभ करने की अनुमति मांगी गई। अनुमति प्राप्ति के पश्चात् सचिव द्वारा ऑनलाइन एवं ऑफलाइन माध्यम से जुड़े सभी माननीय सदस्यों का स्वागत एवं अभिनंदन करते हुए बैठक की विधिवत् कार्यवाही प्रारंभ की गई।

मद सं. 01 — अभिषद् की गत बैठक दिनांक 08.01.2026 के कार्यवृत्त एवं अनुपालन-प्रतिवेदन पर विचार।

निर्णय : **सचिव द्वारा अभिषद् की बैठक दिनांक 08.01.2026 के कार्यवृत्त तथा उससे संबंधित अनुपालन-प्रतिवेदन को सदन के समक्ष रखा गया। अनुपालन-प्रतिवेदन के संपुष्टि के क्रम में मद सं. 04 में लिए गए निर्णय के आलोक में गठित समिति को माननीय अध्यक्ष महोदय ने प्रतिवेदन समर्पित करने हेतु एक माह का समय प्रदान किया। तदुपरांत, सर्वसम्मति से, अभिषद् की गत बैठक दिनांक 08.01.2026 के कार्यवृत्त को संपुष्ट किया गया और अनुपालन-प्रतिवेदन पर संतोष व्यक्त किया गया।**

मद सं. 02 — वित्त समिति की बैठक दिनांक-14.01.2026, 19.01.2026 एवं 20.01.2026 के कार्यवृत्त की सम्पुष्टि पर विचार।

निर्णय: **सर्वसम्मति से, वित्त समिति की बैठक दिनांक 14.01.2026, 19.01.2026 एवं 20.01.2026 के कार्यवृत्त को संपुष्ट किया गया।**

मद सं. 03 — विद्वत परिषद् की बैठक दिनांक-29.05.2023 एवं 19.01.2026 के कार्यवृत्त की सम्पुष्टि पर विचार।

निर्णय: **सर्वसम्मति से, विद्वत परिषद् की बैठक 29.05.2023 एवं 19.01.2026 के कार्यवृत्त को संपुष्ट किया गया।**

मद सं. 04 वित्तीय परामर्शी महोदय द्वारा दिये जाने वाले बजट अभिभाषण पर विचार।

निर्णय: **सर्वसम्मति से, वित्तीय परामर्शी महोदय द्वारा दिये जाने वाले बजट अभिभाषण को अनुमोदित किया गया।**

मद सं. 05 बिहार अधिनियम 1976 (यथा अद्यतन संशोधित) की धारा 47(3) के अंतर्गत वित्त समिति द्वारा अनुशंसित विश्वविद्यालय के वित्तीय वर्ष 2026-2027 के लिए प्रस्तावित आय-व्ययक पर विचार।

निर्णय: **बिहार अधिनियम 1976 (यथा अद्यतन संशोधित) की धारा 47(3) के अंतर्गत वित्त समिति द्वारा अनुशंसित विश्वविद्यालय के वित्तीय वर्ष 2026-2027 के लिए प्रस्तावित आय-व्ययक पर पर चर्चा करते हुए अभिषद् सदस्य डॉ. हरि नारायण सिंह ने कहा कि बजट में आय को सही से शामिल नहीं किया गया है, बजट में संपूर्ण आय का ब्यौरा शामिल किया जाए, इस पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने तीन सदस्यीय समिति का गठन करने का निर्णय लिया, जिसमें विश्वविद्यालय के वित्तीय परामर्शी, अध्यक्ष, छात्र कल्याण और कुलसचिव को शामिल किया गया। गठित समिति उपरोक्त मामले को लेकर वित्त समिति द्वारा अनुशंसित विश्वविद्यालय के वित्तीय वर्ष 2026-2027 के लिए प्रस्तावित आय-व्ययक की समीक्षा करते हुए उपर्युक्त निर्णय लेंगे। तदुपरांत, सर्वसम्मति से, बिहार अधिनियम 1976 (यथा अद्यतन संशोधित) की धारा 47(3) के अंतर्गत वित्त समिति द्वारा अनुशंसित विश्वविद्यालय के वित्तीय वर्ष 2026-2027 के लिए प्रस्तावित आय-व्ययक को अनुमोदित किया गया।**

मद सं. 06 सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापांक-19300 दिनांक-13.10.2023 के आलोक में अंगीभूत महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालय मुख्यालय में शिक्षकेत्तर कर्मियों को वेतनमान सहित विभिन्न पदों पर दी गई उच्चतर पदों का प्रभार तथा माननीय उच्च न्यायालय, पटना के विभिन्न न्यायादेश के आलोक में अंगीभूत महाविद्यालयों तथा विश्वविद्यालय मुख्यालय में वर्ष 2016 के प्रभाव से दी गई नियमित प्रोन्नति की घटनोत्तर स्वीकृति के संबंध में।

निर्णय: **सर्वसम्मति से, सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापांक-19300 दिनांक-13.10.2023 के आलोक में अंगीभूत महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालय मुख्यालय में शिक्षकेत्तर कर्मियों को वेतनमान सहित विभिन्न पदों पर दी गई उच्चतर पदों का प्रभार तथा माननीय उच्च न्यायालय, पटना के विभिन्न न्यायादेश के आलोक में अंगीभूत महाविद्यालयों तथा विश्वविद्यालय मुख्यालय में वर्ष 2016 के प्रभाव से दी गई नियमित प्रोन्नति की घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान करते हुए यह निर्णय लिया गया कि राज्य सरकार से सहमति प्राप्त होने के पश्चात् ही नियमानुसार अग्रेतर कार्रवाई की जाय।**

मद सं. 07 दिनांक-05.01.2026 को आयोजित खेल एवं शारीरिक शिक्षा निदेशालय की स्थापना हेतु गठित योजना एवं कार्यान्वयन समिति की बैठक तथा दिनांक-19.01.2026 को आयोजित क्रीड़ा परिषद की बैठक में यह निर्णय लिया गया कि ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के अधीन "खेल एवं शारीरिक शिक्षा निदेशालय" की स्थापना स्ववित्तपोषित (Self-Financed) योजना के अंतर्गत की जाए।

उक्त निर्णय को माननीय अभिषद् के समक्ष अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ उपस्थापित ।

निर्णय: **सर्वसम्मति से, दिनांक-05.01.2026 को आयोजित खेल एवं शारीरिक शिक्षा निदेशालय की स्थापना हेतु गठित योजना एवं कार्यान्वयन समिति की बैठक तथा दिनांक-19.01.2026 को आयोजित क्रीड़ा परिषद की बैठक में यह निर्णय लिया गया कि ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के अधीन "खेल एवं शारीरिक शिक्षा निदेशालय" की स्थापना स्ववित्तपोषित (Self-Financed) योजना के अंतर्गत की जाए, के प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया।**

मद सं. 08 दिनांक-05.01.2026 को आयोजित खेल एवं शारीरिक शिक्षा निदेशालय की स्थापना हेतु गठित योजना एवं कार्यान्वयन समिति की बैठक तथा दिनांक-19.01.2026 को आयोजित क्रीडा परिषद की बैठक में यह निर्णय लिया गया कि ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के अधीन "खेल एवं शारीरिक शिक्षा निदेशालय" हेतु डॉ० नागेन्द्र झा स्टेडियम परिसर में स्थित इंडोर हॉल को प्रशासनिक भवन तथा मोती महल परिसर के सामने स्थित स्पोर्ट्स हॉस्टल भवन को शैक्षणिक भवन के रुप में उपयोग में लाया जाए।

उक्त दोनों भवनों के जीर्णोद्धार/नवीनीकरण एवं मरम्मत हेतु अभियांत्रिकी शाखा द्वारा प्रस्तुत 1,22,63,434/- (एक करोड़ बाईस लाख तिरसठ हजार चार सौ चौंतीस रुपये मात्र) की प्राक्कलन राशि के व्यय को अन्य जनप्रतिनिधि के ऐच्छिक कोष से या विश्वविद्यालय के आंतरिक कोष से, वहन किए जाने का अनुमोदन किया गया।

उक्त निर्णय को माननीय अभिषद् के समक्ष अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ उपस्थापित।

निर्णय: **सर्वसम्मति से, दिनांक-05.01.2026 को आयोजित खेल एवं शारीरिक शिक्षा निदेशालय की स्थापना हेतु गठित योजना एवं कार्यान्वयन समिति की बैठक तथा दिनांक-19.01.2026 को आयोजित क्रीड़ा परिषद की बैठक में यह निर्णय लिया गया कि ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के अधीन "खेल एवं शारीरिक शिक्षा निदेशालय" हेतु डॉ० नागेन्द्र झा स्टेडियम परिसर में स्थित इंडोर हॉल को प्रशासनिक भवन तथा मोती महल परिसर के सामने स्थित स्पोर्ट्स हॉस्टल भवन को शैक्षणिक भवन के रुप में उपयोग में लाया जाए, के प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया।**

उक्त दोनों भवनों के जीर्णोद्धार/नवीनीकरण एवं मरम्मत हेतु अभियांत्रिकी शाखा द्वारा प्रस्तुत 1,22,63,434/- (एक करोड़ बाईस लाख तिरसठ हजार चार सौ चौंतीस रुपये मात्र) की प्राक्कलन राशि के व्यय को अन्य जनप्रतिनिधि के ऐच्छिक कोष से या विश्वविद्यालय के आंतरिक कोष से, वहन किए जाने का अनुमोदन किया गया, के प्रस्ताव को सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया। माननीय अध्यक्ष महोदय ने कहा कि कोई भी सम्मानित जनप्रतिनिधि अपने नाम से अंकित शिलापट्ट के साथ विश्वविद्यालय में अपने ऐच्छिक कोष से भवन का निर्माण करा सकते हैं। अभिषद् के माननीय सदस्य श्री सुजीत पासवान को यह दायित्व दिया गया कि वे अन्य सम्मानित जनप्रतिनिधियों से भवन निर्माण के लिए कोष उपलब्ध कराने हेतु समन्वय करेंगे।

मद सं. 09 दिनांक 05.01.2026 को आयोजित खेल एवं शारीरिक शिक्षा निदेशालय की स्थापना हेतु गठित योजना एवं कार्यान्वयन समिति की बैठक तथा दिनांक 19.01.2026 को आयोजित क्रीड़ा परिषद की बैठक में तैयार किए गए ड्राफ्ट ऑर्डिनेंस एवं विनियम (Draft Ordinance- Regulations) के प्रारुप को अनुमोदित किया गया।

उक्त निर्णय को माननीय अभिषद के समक्ष अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ उपस्थापित।

निर्णय: **सर्वसम्मति से, दिनांक 05.01.2026 को आयोजित खेल एवं शारीरिक शिक्षा निदेशालय की स्थापना हेतु गठित योजना एवं कार्यान्वयन समिति की बैठक तथा दिनांक 19.01.2026 को आयोजित क्रीड़ा परिषद की बैठक में तैयार किए गए ड्राफ्ट ऑर्डिनेंस एवं विनियम (Draft Ordinance- Regulations) प्रारुप के प्रस्ताव को अनुमोदन प्रदान की गई।**

मद सं. 10 समस्तीपुर कॉलेज, समस्तीपुर के खेल मैदान के सीमांकन के पश्चात् चाहरदीवारी का निर्माण दिनांक 11.06.2025 के महाविद्यालय के भवन का विकास समिति महाविद्यालय से स्वीकृति प्राप्त है। उक्त निर्माण कार्य हेतु कुल प्राक्कलित राशि 83,21,115.00 का है। उक्त निर्माण कार्य हेतु LNMU FUND Account- A से महाविद्यालय द्वारा राशि की मांग की गई है। उक्त राशि को महाविद्यालय स्थानांतरण करने हेतु अनुमोदनार्थ एवं विचारार्थ उपस्थापित।

निर्णय: **समस्तीपुर कॉलेज, समस्तीपुर के खेल मैदान के सीमांकन के पश्चात् चाहरदीवारी का निर्माण दिनांक 11.06.2025 के महाविद्यालय के भवन का विकास समिति महाविद्यालय से स्वीकृति प्राप्त है। उक्त निर्माण कार्य हेतु कुल प्राक्कलित राशि 83,21,115.00 का है। उक्त निर्माण कार्य हेतु LNMU FUND Account- A से महाविद्यालय द्वारा राशि की मांग की गई है। उक्त राशि को महाविद्यालय स्थानांतरण करने के प्रस्ताव को सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।**

मद सं. 11 श्यामा मंदिर परिसर के पीछे स्थित शिक्षक आवासों के सुरक्षा हेतु चाहरदीवारी निर्माण की प्राक्कलित राशि Rs. 30,11,500/- एवं सभी शिक्षकों हेतु मोटर गैराज निर्माण हेतु कुल प्राक्कलित राशि Rs. 11,93,187/- की स्वीकृति एवं अनुमोदन पर विचार।

निर्णय: **सर्वसम्मति से, श्यामा मंदिर परिसर के पीछे स्थित शिक्षक आवासों के सुरक्षा हेतु चाहरदीवारी निर्माण की प्राक्कलित राशि Rs. 30,11,500/- एवं सभी शिक्षकों हेतु मोटर**

गैराज निर्माण हेतु कुल प्राक्कलित राशि Rs. 11,93,187/- के प्रस्ताव को अनुमोदित एवं स्वीकृति प्रदान किया गया।

मद सं. 12 पुराने Music Department Building को न्यायालय के आदेश के पश्चात् राम मंदिर के पीछे बने जीर्ण-शीर्ण अवस्था में भाषा भवन में स्थानांतरित करने से पूर्व निम्नलिखित असैनिक कार्यों की संपादित कराने की आवश्यकता नितांत अनिवार्य है जो निम्नरुपेण है:-

1. भवन के सपूर्ण विद्युतीकरण एवं जलापूर्ति व शौचालय की पूर्ण व्यवस्था (जो पूर्व में नहीं की गई थी) के कुल प्राक्कलित राशि Rs. 24,83,698.00 के स्वीकृति एवं अनुमोदन पर विचार।

2. संपूर्ण भवन के फर्श, सीढ़ी एवं शौचालयों में Tiles लगाने संबंधी कार्य के कुल प्राक्कलित राशि Rs. 27,24,455.00 के स्वीकृति एवं अनुमोदन पर विचार।

3. संपूर्ण भवन के रंग-रोगन, मरम्मत्ति, सभी दरवाजे एवं खिड़की को बदलने संबंधी कार्य के कुल प्राक्कलित राशि Rs. 23,70,167.00 के प्राक्कलन की स्वीकृति एवं अनुमोदन पर विचार।

निर्णय: **पुराने Music Department Building को न्यायालय के आदेश के पश्चात् राम मंदिर के पीछे बने जीर्ण-शीर्ण अवस्था में भाषा भवन में स्थानांतरित करने से पूर्व निम्नलिखित असैनिक कार्यों की संपादित कराने की आवश्यकता नितांत अनिवार्य है, जो निम्नरुपेण है:-**

1. भवन के सपूर्ण विद्युतीकरण एवं जलापूर्ति व शौचालय की पूर्ण व्यवस्था (जो पूर्व में नहीं की गई थी) के कुल प्राक्कलित राशि Rs. 24,83,698.00 के प्रस्ताव को स्वीकृति एवं अनुमोदन प्रदान किया गया।

2. संपूर्ण भवन के फर्श, सीढ़ी एवं शौचालयों में Tiles लगाने संबंधी कार्य के कुल प्राक्कलित राशि Rs. 27,24,455.00 के प्रस्ताव को स्वीकृति एवं अनुमोदन प्रदान किया गया।

3. संपूर्ण भवन के रंग-रोगन, मरम्मत्ति, सभी दरवाजे एवं खिड़की को बदलने संबंधी कार्य के कुल प्राक्कलित राशि Rs. 23,70,167.00 के प्रस्ताव को स्वीकृति एवं अनुमोदन प्रदान किया गया।

उपरोक्त सभी प्रस्तावों को अत्यावश्यक समझते हुए सर्वसम्मति से स्वीकृति एवं अनुमोदित किया गया।

मद सं. 13 बहुउदेशीय भवन के संपूर्ण जीर्णोद्धार, मरम्मति, रंग-रोगन, बिजली Internior Decoration हेतु कुल प्राक्कलित राशि Rs. 1,71,04,587.00 के एवं अनुमोदन पर विचार।

निर्णय: **सर्वसम्मति से, बहुउदेशीय भवन के संपूर्ण जीर्णोद्धार, मरम्मति, रंग-रोगन, बिजली Internior Decoration हेतु कुल प्राक्कलित राशि Rs. 1,71,04,587.00 के प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया।**

अन्यान्य मद

अ. मद सं. 01 APJAKWIT में Chemistry Lab के निर्माण एवं जीर्णोधार के संबंध में।

निर्णय : **सर्वसम्मति से, डॉ० एपीजे अब्दुल कलाम महिला प्रौद्योगिकी संस्थान, के प्रबंध परिषद के निर्णय के अनुसार अति आवश्यक रूप से Chemistry Lab का निर्माण होना है इस हेतु तत्काल chemistry lab के विभिन्न सिविल वर्क के लिए कुल अनुमानित व्यय 1351315/- रूपये की प्राक्कलन राशि के प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया।**

माननीय अध्यक्ष महोदय ने पांच सदस्यीय समिति का गठन करते हुए डॉ. हरि नारायण सिंह को संयोजक और सदस्य के रूप में डॉ. फैयाद अहमद, श्री सुजीत पासवान, डॉ. अमर कुमार और श्रीमती मीना कुमारी को शामिल करने का निर्णय लिया। गठित समिति प्रत्येक तीन माह पर डॉ० एपीजे अब्दुल कलाम महिला प्रौद्योगिकी संस्थान का निरीक्षण कर संस्थान के सफल संचालन, क्रियान्वयन, आवश्यकताओं एवं छात्राओं से बात कर माननीय कुलपति महोदय को अवगत कराते रहेंगे। समिति से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर संस्थान के सफल संचालन हेतु उचित कार्रवाई की जाएगी।

अ. मद सं. 02 अभिषद सदस्य डॉ. गोपाल जी ठाकुर के प्रस्ताव डा० एपीजे अब्दुल कलाम महिला प्रौद्योगिकी संस्थान को विकसित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय अंतर्गत अंगिभूत महाविद्यालयों, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्र में अवस्थित जे.के. कॉलेज, बिरौल में इंटीग्रेटेड बी.एड. की पढ़ाई प्रारंभ करने, सी.एम. लॉ कॉलेज में इंटीग्रेटेड लॉ की पढ़ाई प्रारंभ करने, विश्वविद्यालय परिसर में 1000 सीट वाला परीक्षा भवन/सभागार का निर्माण करने, मनोकामना

मंदिर के दक्षिण में अवस्थित पार्क का सौंदर्यीकरण करने, विश्वविद्यालय कैंपस में विश्वस्तरीय खेल मैदान एवं इंडोर स्टेडियम का निर्माण करने एवं विश्वविद्यालय अंतर्गत अंगीभूत महाविद्यालयों में चल रहे बी.एड. विभाग में कार्यरत शिक्षकों के वेतन को कम नहीं करने पर विचार।

निर्णय: **अभिषद् सदस्य डॉ. गोपाल जी ठाकुर के प्रस्ताव पर माननीय अध्यक्ष महोदय की अनुमति से डा. एपीजे अब्दुल कलाम महिला प्रौद्योगिकी संस्थान के निदेशक ने सदन को अवगत कराते हुए कहा कि यह एक स्ववित्तपोषित संस्थान है। वर्तमान में इस संस्थान के अंतर्गत संचालित पाठ्यक्रम को अद्यतन किया गया है। संस्थान के पास 22 एकड़ जमीन है, जिनमें से केवल 10 एकड़ जमीन अभी संस्थान के पास है, शेष जमीन होमगार्ड के अधीन है। इसके सीमांकन की प्रक्रिया का मामला माननीय के संज्ञान में है। इस संस्थान के विकास हेतु माननीय कुलपति महोदय ने राज्य सरकार से 200 बेडों की छात्रावास की मांग की है। इस संस्थान में आईटी पार्क बनाने हेतु आग्रह किया है। सोलर पैनल, कैंटिन एवं परिवहन हेतु बस की आवश्यकता है। इस पर राज्य सरकार के स्तर से सहयोग प्राप्त हो तो संस्थान का और तीव्र गति से विकास होगा।**

अध्यक्ष, छात्र कल्याण ने सदस्य को अवगत कराया कि इंटीग्रेटेड बी.एड. कोर्स शुरू करने के लिए महाविद्यालय नैक से मूल्यांकित हो। नैक से मूल्यांकित हो जाने के बाद विश्वविद्यालय द्वारा जे.के. कॉलेज, बिरौल व अन्य महाविद्यालयों के लिए इस तरह के पाठ्यक्रम के लिए प्रयास किया जाएगा।

सी.एम. लॉ कॉलेज के प्रधानाचार्य ने सदस्य को अवगत कराते हुए कहा कि माननीय सांसद महोदय के समक्ष भवन बनाने हेतु प्रस्ताव पूर्व में ही प्रस्तुत किया गया है। भवन निर्माण के साथ ही इंटीग्रेटेड लॉ कोर्स की पढ़ाई शुरू करने हेतु पहल की जाएगी।

बी.एड. शिक्षकों के वेतन को लेकर माननीय अध्यक्ष महोदय ने सदन को अवगत कराया कि कार्यालय आदेश Memo No. LNMU/DDE/7123-34/25 दिनांक 29/11/2025 को निरस्त करने के लिए मामला उच्च न्यायालय के अधीन है। अतः इस पर अभी निर्णय नहीं लिया जा सकता है। सदस्यों के आग्रह पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने कहा कि विश्वविद्यालय के चार वरीय अधिवक्ताओं से विधिक मंतव्य प्राप्त कर आगे सहिष्णुता के आधार पर सकारात्मक निर्णय लिया जाएगा।

उपरोक्त सभी निर्णयों पर सर्वसम्मति से सभी सदस्यों ने सहमति व्यक्त की।

अ. मद सं. 03 अभिषद् सदस्या श्रीमती मीना कुमारी ने प्रस्ताव रखी कि नरगौना परिसर में बन रहे सोशल साइंस ब्लॉक से पेड़ों को काटना पड़ा है, उसके बदले नये पेड़ लगाने का कार्य किया जाय।

निर्णय: **माननीय अध्यक्ष महोदय ने सदन को अवगत कराया कि विश्वविद्यालय परिसर में पूर्व से ही पौधरोपण का कार्य शुरू है। साथ ही ज्यादा-से-ज्यादा संख्या में पौधरोपण का कार्य निरंतर किया जाएगा। सर्वसम्मति से सभी सदस्यों ने इस पर सहमित व्यक्त किया।**

अ. मद सं. 04 अभिषद् सदस्य प्रो. दिलीप कुमार चौधरी, डॉ. हरि नारायण सिंह एवं डॉ. बैद्यनाथ चौधरी के प्रस्ताव आई.बी.एम., बेला, दरभंगा संस्थान में बी.सी.ए. कोर्स की पढ़ाई शुरू करने के लिए अनुमति प्रदान करने पर विचार।

निर्णय: **सर्वसम्मति से, निर्णय लिया गया कि पूर्व में गठित समिति दुबारा संस्थान का निरीक्षण कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे। प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर अग्रेत्तर कार्रवाई की जाय।**

अ. मद सं. 05 अभिषद् सदस्य डॉ. अमर कुमार के प्रस्ताव फोर्थ फेज के ऐसे कॉलेज, जिनमें शिक्षक एस.बी.सिन्हा से आए हैं, उन शिक्षकों को राज्य सरकार के दो पत्रांक 291 दिनांक 4/2/21 तथा पत्रांक 698 दिनांक 5/7/21 के द्वारा जो प्रमोशन एवं पेंशन पर रोक लगी है, इसे निरस्त करने पर विचार।

निर्णय: **सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि राज्य सरकार के पत्रांक 291 दिनांक 4/2/21 तथा पत्रांक 698 दिनांक 5/7/21 पर राज्य सरकार से दिशा-निर्देश प्राप्त कर ही नियमानुसार अग्रेतर कार्रवाई की जाय।**

बैठक में विचार-विमर्श के दौरान माननीय सांसद डॉ. गोपाल जी ठाकुर के नेतृत्व में पांच सदस्यीय समिति का गठन किया गया, जिसमें सदस्य के रूप में श्री सुजीत पासवान, प्रो. दिलीप कुमार चौधरी, मो. इम्बेसात सौकत एवं श्रीमती मीना कुमारी को शामिल किया

गया। यह समिति माननीय मुख्यमंत्री से मिलकर विश्वविद्यालय में किए गए विकास कार्यों से उन्हें अवगत कराते हुए विश्वविद्यालय के विकास हेतु फंड की मांग करेंगे।

माननीय अध्यक्ष महोदय के अनुमति से कुलसचिव-सह-सचिव द्वारा ऑनलाइन एवं ऑफलाइन मोड में उपस्थित सभी माननीय सदस्यों को बैठक के सुचारू रूप से संचालन में सहयोग, महत्वपूर्ण सुझाव तथा बहुमूल्य समय दिये जाने के लिए धन्यवाद ज्ञापन किया गया। तदुपरांत बैठक समाप्ति की घोषणा की गई।

डॉ. दिव्या रानी हंसदा
कुलसचिव-सह-सचिव

प्रो. संजय कुमार चौधरी
कुलपति-सह-अध्यक्ष

ज्ञापांक :– **UB-845/26** दिनांक–21.01.2026

प्रतिलिपि प्रेषित–

1. **अभिषद् के सभी सदस्य,** ल0ना0 मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा;
2. **सचिव, उच्च शिक्षा,** बिहार पटना;
3. **निदेशक, उच्च शिक्षा,** बिहार पटना;
4. **उप–सचिव,** राज्यपाल सचिवालय, बिहार पटना;
5. **सभी पदाधिकारी,** ल0ना0 मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा;
6. **नोडल पदाधिकारी (विश्वविद्यालय वेबसाईट),** ल0ना0 मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा;
7. **कुलपति के सचिव/प्रति–कुलपति/वित्तीय परामर्शी/कुलसचिव के निजी सहायक,** ल0ना0 मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा;

को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ।

21-01-26

कुलसचिव

21/01/26